# न्यायायल श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

1– वहीदन वी पुत्री सिकंदर , पत्नि अब्दुल जलील (फौत) ,

**वरिसान :–**

1– मु0 खलील आयु 40 साल , 2– मु0 गुफरान आयु 35 साल

3– शम्मो बी आयु 37 साल ,

सभी निबासी वार्ड क0 एक बेगमगंज, तहसील बंगमगंज, जिला रायसेन

2– शरीफा बी पुत्री सिकंदर पत्नि अब्दुल हमीद,

निबासी सईदिया स्कूल के पीछे, वार्ड क0 24 इस्लामपुरा भोपाल ,

3– माकूल बी पुत्री सिकंदर पत्नि चांदमियां (फौत)

**वरिसानः–**

1– मु0 अकरम आयु 40 साल 2– मु0 असलम आयु 28 साल

3– मु0 सईल आयु 32 साल 4– मु0 इस्राईल आयु 25 साल

5– मरियम बी आयु 28 साल 6– असगरी बी आयु 25 साल

7– तारा बी आयु 20 साल

सभी निबासी वार्ड क0 09 राहतगढ, जिला सागर म0प्र0

3– साविर उर्फ सुकई पुत्र सिंकंदर, (फौत)

**वरिसान :–**

1– नसीम आयु 35 साल, 2– हसीब आयु 33 साल ,

3– बसीम आयु 16 साल, 4– समशुददीन पुत्र सिंकंदर

सभी निबासी वार्ड क0 10, राहतगढ, तह0 राहतगढ़ जिला सागर म0 प्र0

4– कमरूददीन पुत्र सिंकंदर, (फौत)

**वरिसान**

1– मु0 जमाल आयु 30 साल  2– मु0 कमाल आयु 18 साल

3– मु0 कामिल आयु 12 साल वल्द व वली मां गुडडी बी ,

4– गुडडी बी वेवा कमरूददीन

सभी निबासी वार्ड क0 12 राहतगढ़ जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदकगण

**वनाम**

1– लालमियां पिता बशीर, साकिन– वार्ड क0 11 राहतगढ़, जिला सागर ,

2– अभयकुमार जैन पिता हजारी लाल जैन, साकिन वार्ड क0 07 राहतगढ़ ,

3– महेन्द्र पिता गुलझारीलाल जैन , साकिन वार्ड क0 13 राहतगढ़, सागर

4– सिस्टर प्रीति ओर से सोसायटी ऑफ वेनी बिस्टास,

सिस्टर सेन्ट लियोना भोपाल ,

5– अब्दुल सलाम पिता हसन , साकिन वार्ड क0 12 राहतगढ़ , जिला सागर

6– रईस कुरैशी पिता बरकत कुरैशी , साकिन वार्ड क0 11 राहतगढ़

7– चांदमियां पिता बशीर , साकिन वार्ड क0 11 राहतगढ़, जिला सागर

8– आशीष राय पिता अयोध्या प्रगसाद रॉय ,

ग्राम मोहासा , तहसील राहतगढ़ जिला सागर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–**

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 828/बी121/2014–15 में पारित आलोच्य स्थगन आदेश दिनांक 24/09/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय है।

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/2354

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27–7–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 828/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.09.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रकरण के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 का आवेदन समाधानकारक होने से स्वीकार किया जाता है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण कमांक 06/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.7.15 के विरूद्व संहिता की धारा 44/2 के तहत प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 7.9.15 को अपीलार्थीगण एवं प्रत्रिअपीलार्थीगण के बीच आपसी राजीनामा हो गया था जो उनके द्वारा अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में दिनांक 7.9.15 को प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर अपर आयुक्त द्वारा राजीनामा स्वीकार करके संशोधन पंजी कमांक 01 पर पारित आदेश दिनांक 2.3. 1980 निरस्त करके प्रकरण की वादभूमि सिंकदर के नाम से पूर्ववत दर्ज करके मुस्लिम विधि के अनुसार वारिसान नामांतरण | |

करने का आदेश तथा निर्देश तहसीलदार राहतगढ़ को दिया। उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा एक पुर्नविलोकन अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में ही उन्हीं के प्रकरण कमांक 754/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 7.9.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय अपर आयुकत सागर संभाग सागर के न्यायालय में पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 828/बी–121/2014–15 दर्ज करके दिनांक 24.9.15 को आदेश पारित करते हुये अपने ही द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 7.9.15 आगामी आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया तथा पेशी दिनांक 5.10.15 नियत कर दी जिसके उपरांत से आज दिनांक तक न तो अग्रिम सुनवाई की गई और न ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 का निराकरण किया गया है। प्रकरण दिनांक 24.9.15 से यथावत रखा हुआ है। आवेदकगण उपरोक्त आदेश दिनांक 24.9.15 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि उनके द्वारा आगामी आदेश तक के लिये स्वयं का आदेश दिनांक 7.9.15 स्थगित किया है जबकि भू–राजस्व संहिता के नये संशोधन दिनांक 30.12.2011 के अनुसार कोई भी राजस्व न्यांयालय प्रथम बार में 90 दिन का स्थगन नहीं दे सकते जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी आदेश तक का स्थगन आदेश जारी करके दिनांक 5.10.15 की तारीख नियत कर के आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और यथास्थिति में रखा हुआ है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण

का पक्ष श्रवण किये बगैर ही दिनांक 24.9.15 को प्रश्नाधीन स्थगन आदेश असीमित समय के लिये पारित कर दिया जो विधि एवं संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । यदि अधिनस्थ पुर्नविलोकन न्यायालय को स्थगन आदेश जारी करना आवश्यक भी लग रहा था तो पहले उन्हें आवेदकगण को सूचना पत्र जारी करना था तदुपरांत उभयपक्षों को सुंनने के उपरांत आदेश जारी करना था।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 828 / बी–121 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.9.15 में आगामी आदेश तक के लिये स्थगन आदेश जारी करके दिनांक 5.10.15 की तारीख नियत की है तथा उसके उपरांत से अग्रिम सुनवाई प्रारंभ नहीं की है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 कमांक 42 दिनांक 30.12.11 के द्वारा धारा 52 की उपधारा 02 में संशोधन किया गया है कि " परंतु आदेश का निष्पादन एक बार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वतः हो नहीं रोका जायेगा जबकि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.9.2015 में असीमित समय के लिये स्थगन आदेश जारी किया है जो उपरोक्त संशोधन के विपरीत है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.9.15 में जारी आगामी आदेश तक का स्थगन निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में शेष कार्यवाही विधि अनुरूप यथावत जारी रहेगी। आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य